आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

अर्द्धशा0पत्रसं0-1/2016/179/22-2-2016-56जी/2015
उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 01 फरवरी, 2016

प्रिय महोदय,

प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(345)/92, दिनांक 13.04.2005 तथा शासनादेश संख्या-1292/22-2-2012-19जी/2012, दिनांक 02.11.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित 05 बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किये जाने पर बल दिया गया है:-

1- क्या सम्बन्धित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है ?

2- क्या बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का कोई अवसर है ?

3- क्या सिद्धदोष बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त हो गया है ?

4- क्या बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का कोई सार्थक प्रयोजन है ?

5- बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त है ?

उक्त के अनुपालन में प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के समस्त प्रकरण आपकी आख्या/संस्तुति हेतु संदर्भित किये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी (यथा स्थिति) 15 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट को तथा उक्त आख्या प्राप्ति के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 01 सप्ताह के भीतर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। प्राय: यह अनुभव किया जा रहा है कि समयपूर्व रिहाई के प्रकरण आपके स्तर पर महीनों लम्बित रहते हैं तथा बिना विशिष्ट प्रतिकूल तथ्यों को अंकित किये समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों का विरोध रूटीन रूप से किया जाता है। यह स्थिति रिहाई के सम्बन्ध में प्रचलित शासकीय नीति के विपरीत है तथा विधि व्यवस्था के भी अनुसार उचित नहीं है।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त सिद्धदोष बन्दियों एवं उपरोक्त शासनादेश की परिधि में आने वाले अन्य समस्त बन्दियों के सम्बन्ध में अगले बीस दिन में उनके रिहाई अनुरोध पर विचार कर लिया जाय तथा अपनी स्पष्ट संस्तुति महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाय। सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों का विरोध मात्र विशिष्ट आधार एवं तथ्यों के होने पर ही किया जाय एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाय कि वे बिना विस्तृत-गहन जांच एवं विशिष्ट तथ्य/आधार अंकित किये रिहाई के मामलों में रूटीन आधार पर विरोध न करें। यदि किसी प्रकरण में कोई विशेष प्रतिकूल तथ्य हो, तभी उसकी रिहाई का विरोध किया जाय तथा उन प्रतिकूल तथ्यों को ठोस आधार सहित अंकित कर आख्या/संस्तुति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायें। तदोपरान्त अपनी आख्या/संस्तुति महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इन प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब को गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

समस्त जिला मजिस्ट्रेट (नाम से),
उत्तर प्रदेश।
संख्या-179(1)22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को इस सम्बन्ध में निर्धारित समयान्तर्गत तथ्य परक आख्या, जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

C1,Disk-d

http://shasanadesh.up.nic.in